

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)
कमांक 1 अ-82/17-18 भू-अर्जन/5815 बैतूल दिनांक 8-05-2018
ईशतहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई द्वारा पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम बोरगौव प0ह0न0 115 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है :-

अ0क0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक द्वारा कय जाने वाला हे0 में	विभाग कय किया रकबा	धारक का नाम
1	2	3	4	5	
1	182/1 194/1	0.405 0.429	0.405 0.429		डोमा वल्द घुडल्या जाति किराड साकिन देह भूमि स्वामी
2	183 185	0.858 0.291	0.858 0.291		तुलसीदास हरिराम वल्द सुखदेव जाति किराड साकिन देह भूमि स्वामी
3	184	0.393	0.393		गोपीचंद्र वल्द लालजी जाति किराड साकिन भूमिस्वामी
4	178	0.486	0.486		शांता बेवा रामदास अनंतराव रामेश्वर वल्द रामदास अनुराधा गुणवंती पिता रामदास अंजू पिता सोनवा जाति मेहरा साकिन देह भूमिस्वामी
5	189 191	0.324 0.567	0.324 0.567		प्रेमचंद्र वल्द दीनानाथ जाति किराड साकिन देह भूमिस्वामी
6	167/3	1.011	1.011		प्रेमलाल वल्द माधो जाति मेहरा साकिन देह भूमिस्वामी
योग :-			4.764		

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम बोरगौव तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों की कुल 4.764 हे0 भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में दावे/ आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है । नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 8-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(शशाक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बोरगॉव तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर,
बैतूल